भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 892

जिसका उत्तर 06.02.2020 को दिया जाना है

पुदुचेरी-कुड्डालोर खण्ड पर एक्सप्रैसवे

892. श्री वी॰ वैथिलिंगमः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-45क के पुदुचेरी-कुड्डालोर खण्ड पर अत्यधिक यातायात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त खण्ड में चार-लेन एक्सप्रैसवे का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) पुदुचेरी, कुड्डालोर और नागपट्टिनम से होते हुए विलुप्पुरम से नागापट्टिनम तक चार लेन बनाने का कार्य भारतमाला परियोजना के तहत परिकल्पित किया गया है। पूरे खंड को चार पैकेजों में विभाजित किया गया है और पुदुचेरी और कुड्डालोर में बाईपास सहित पुदुचेरी से कुड्डालोर खंड तक पैकेज -2 का कार्य सौंपा गया और मई 2018 में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। भूमि सौंपने में देरी के कारण, 15.05.2019 को समझौता समाप्त कर दिया गया था। 24.02.2020 को बोलियां प्रस्तुत करने की नियत तिथि के साथ, दिनांक 16.02.2019 को नई बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इस बीच, कुछ जनहित याचिकाओं के कारण, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने परियोजना को रोकने का आदेश दिया है और पैकेज- II सहित रारा-45ए के चारों पैकेजों के लिए एमओईएफ से मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

*****